सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 665 राँची, शुक्रवार, 10 नवंबर, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर, 2023

संख्या-परि॰ वि॰ -306/2012-1286-- राज्य में विभिन्न प्रकार के निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई प्रकार के विशिष्ट सूचक बोर्ड/पट्ट अग्र एवं पार्श्व भाग में प्रयोग किये जा रहे थे, जिसपर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या-W.P.(PIL) No.- 419 of 2020 गजाला तनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक-18.12.2020 को न्याय-निर्देश पारित किया गया। उक्त न्याय-निर्देश के आलोक में वाहनों में बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने के लिए परिवहन विभाग अधिसूचना संख्या-285, दिनांक-10.03.2021 के द्वारा मार्गदर्शी नीति निर्धारण का संसूचन किया गया।

2. उक्त मार्गदर्शी नीति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को समावेशित किया जाता है :-

(क) अधिसूचना के कण्डिका-4. (क) (III) उप कण्डिका-(iii) में “पुलिस महानिरीक्षक,” के पश्चात् “प्रधान मुख्य वन संरक्षक” जोड़ा जाता है।

(ख) अधिसूचना के कण्डिका-4. (क) (III) उप कण्डिका-(iv) में "आरक्षी अधीक्षक," के पश्चात् "अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक/उप निदेशक/प्रबंध निदेशक/ महाप्रबंधक/प्रमण्डलीय प्रबंधक/अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव, झारखण्ड प्रदुषण नियंत्रण पर्षद" जोड़ा जाता है।

(ग) अधिसूचना के कण्डिका-4. (ख) में "प्रवर्त्तन पदाधिकारी" स्तम्भ में "वन क्षेत्र पदाधिकारी" जोड़ा जाता है।

(घ) अधिसूचना के कण्डिका-4. (ख) में "प्रवर्तन पदाधिकारी" स्तम्भ में "राज्य-कर अपर आयुक्त/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त/राज्य-कर उपायुक्त" जोड़ा जाता है।

(ड.) अधिसूचना के कण्डिका-4. (क) (IV) (i) में "अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग" के पश्चात् "अध्यक्ष, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" जोड़ा जाता है।

3. अधिसूचना के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 665 - 50